न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 35/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. सुदर्शन पुत्र मोहनलाल 2. सुबोध पुत्र मोहनलाल जरिये कुदरती वलिया ऐचली सभी जातियान विश्नोई निवासी– खिलेरियों की ढाणी, मगरा नगर, तहसील, ओसियॉ जोधपुर।		1. जोराराम 2. घमण्डाराम 3. रेवता 4. जैना पिसरान किशनराम सुथार निवासी--ग्राम तापू तहसील ओसियॉ जोधपुर। 5. राणीदान पुत्र किसनाराम फौत का0मु0–– 5.1.खेताराम पुत्र राणीदान 5.2 कालूराम पुत्र राणीदान निवासी–ग्राम तापू तहसील ओसियॉ जोधपुर। 6. मालाराम पुत्र रूघाराम 7. पेमाराम पुत्र रूघाराम 8. भगाराम पुत्र रूघाराम 9. भैराराम पुत्र रूघाराम जातियान आंचार्य, निवासी–ग्राम ओवण वालो की ढाणी, तापू तहसील ओसियॉ जोधपुर। 10. सरपंच, ग्राम पंचायत तापू तहसील ओसिया, जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2019 जो राजस्व अपील संख्या 21/2011 अनवान जोराराम वगैराह बनाम कालू वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री किशनाराम विश्नाई, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।

2– रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 24 नवम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ता पांच ने एक प्रथम राजस्व अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 संख्या 235 स्वीकृति दिनांक 10.10.1974 ग्राम पंचायत तापू व नामा0 संख्या 325 विरासत दिनांक 20.02.2011 ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये गये, के विरूद्ध पेश की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक ता पांच की अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत उक्त नामा0 संख्या 235 दिनांक 10.10.1974 व नामा0 संख्या 325 दिनांक 20.02.2011 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार ओसियॉ को बेचाननामा पक्षकारान से तलब किया जाकर पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर

की जॉच की जाकर नये सिरे से नामा0 की कार्यवाही किये जाने का दिनांक 30.10.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अन्तर्गत धारा 96 के तहत अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति देने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि अपील में वर्णित भूमि वर्तमान खातेदार से जरिये रजिस्ट्री खरीद कर वक्त खरीद भूमि पर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं मौके पर कब्जा प्रार्थी/अपीलान्ट का है, अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः वह सदभाविक केता है एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खेत खसरा संख्या 782 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा ग्राम तापू में आया हुआ है तथा नामा0 संख्या 66 के अनुसार बस्तीमल के खातेदारी का था, बस्तीमल के द्वारा बेचान के बाद किसना पुत्र हेमा व राणीदान, घमण्डा पुत्रान किशना के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा दिनांक 13.06.1965 को नामा0 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। किसना पुत्र हेमा, राणीदान, घमण्डा पिसरान किसना द्वारा 1/2 हिस्सा बेचान कर दिया गया उक्त बेचान के आधार पर नामा0 संख्या 235 भरा जाकर स्वीकार किया गया। फलस्वरूप कालू पुत्र हरचन्द कौम आचार्य के नाम से 1/2 हिस्सा नामा0 संख्या 235 दिनांक 10.10.1974 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। कालूराम पुत्र हरचन्दराम के देहान्त पश्चात नामा0 संख्या 325 उनके वारिसान उनके भाई के पुत्र मालाराम, प्रेमाराम, भगाराम, भैराराम पुत्रान रूघाराम आचार्य के नाम से भरा जाकर स्वीकार किया गया चूंकि कालूराम का देहान्त कुवारा व लाऔलाद फौत होने के कारण दिनांक 20.02.2011 को उक्त नामा0 भरा जाकर स्वीकार किया गया था।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मालाराम, प्रेमाराम, भगाराम, भैराराम पुत्रान रूघाराम के द्वारा भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के द्वारा भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेज के मुकेश कुमार धीरेन्द्रसिंह पुत्र नरसिंह को कर दी गई। जिस पर नामा0 संख्या 333 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। रेसपोडेन्ट के द्वारा नामा0 संख्या 333 की अपील अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के द्वारा नामा0 को यथावत रखा गया। ऐसे में राजस्व रेकर्ड में आज भी मुकेश कुमार वगैराह का नाम दर्ज है। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें खातेदार मुकेश कुमार, धीरेन्द्रकुमार पुत्र नरसिंह को एवं वर्तमान अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया तथा

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

धारा 212 के तहत स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। पक्षकार नहीं बनाये जाने और भूमि का बेचान सम्बन्धी कोई स्थगन नहीं लेने के कारण मुकेश कुमार, धीरेन्द्रसिंह पुत्र नरसिंह से भूमि जरिये रजिस्ट्री अपीलान्टस के द्वारा खरीद कर ली तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। उक्त दस्तावेज के आधार पर अपीलान्टस नामा0 भरवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तब उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का वाद उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ में विचाराधीन होना बताया तब उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पेश कर पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया जो उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी पेश की गई जो आज भी विचाराधीन है। अपीलान्ट के द्वारा हल्का पटवारी से दस्तावेजों की नकले मांगी जाने पर अपीलाधीन आदेश हो जाना बताया तब अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 8.1.2021 को नकल ली तब हुई। उक्त प्रकार की कार्यवाही की रेस्पोडेन्टस को भली भांति रही है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट जोराराम के द्वारा एक प्रथम अपील संख्या 21/2011 जोराराम बनाम मालाराम पेश की जिसमें अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। जिसमें मुकेश कुमार व धीरेन्द्र कुमार को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की, केवल अपने पक्ष के लोगों की पक्षकार बनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों नामा0 को मूल रेकर्ड तलब किये हो बिना ही अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन था व अपील भी प्रस्तुत हो रखी थी, रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व वाद व अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया और न ही निगरानीकर्ता अपीलान्टस को पक्षकार बनाया गया और केवल अहितबद्ध पक्षकार को पक्षकार बनाकर एक तरफा आदेश प्राप्त कर लिया जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा नामा0 संख्या 235 व 325 को निरस्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के न्यायालय में एक वाद दिनांक 19.05.2011 को अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जो आज भी विचाराधीन है। साथ नामा0 संख्या 235 व 325 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 16.5.2011 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, जबकि अलग–अलग नामा0 की अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की जानी चाहिये थी जो नहीं कर एक अपील बनाकर पेश की गई थी। इस प्रकार दो प्रकार की अलग–अलग कार्यवाही यानि राजस्व अपील एवं राजस्व वाद रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किया गया है। किन्तु रेस्पो0 के द्वारा दावा एवं अपील में अपील में दोनों में वर्तमान रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया और न ही निगरानीकर्ता खरीददार को पक्षकार बनाया गया है, केवल हितबद्ध पक्षकार बनाकर [illegible]

इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल रेकर्ड मंगवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अगर मूल राजस्व रेकर्ड तलब कर उसका अवलोकन किया होता तो सही व न्यायोचित आदेश पारित हो पाता।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त अपील पत्रावली पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ न्यायालय में दर्ज हुइ तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी,बाप्डी में स्थानान्तरित हुई, तत्पश्चात पुनः उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ में स्थानान्तरित होकर दर्ज हुई जिसकी कोई सूचना वर्तमान अपीलान्ट को नहीं रही, और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल रेकर्ड तलब किये ही आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रथम अपील में दो अलग-अलग नामा0 को चुनौती दी गई थी जो राज0 कोर्ट मैन्यूअल के चेप्टर द्वितीय-बी के पार्ट-द्वितीय के विपरित प्रस्तुत की गई थी, जो म्याद बाहर थी, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 05 म्याद प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दिया और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इन तथ्यों को दरकिनार कर दोनों नामा0 को निरस्त कर दिया जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। हाल ही में अपीलान्टस के द्वारा हल्का पटवारी से दस्तावेजों की नकल मांगने पर हल्का पटवारी के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने की जानकारी दी तब अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है जिस हेतु उनकी ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत पेश किया जा रहा है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को निरस्त किया जावें।

हमने उपस्थित अपीलान्टस अधिवक्ता की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 का इत्यादि का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 की जानकारी होने के सम्बन्ध में कथन किया कि दिनांक 07.01.2021 को पटवारी हल्का से दस्तावेजों की नकल मांगे जाने पर पटवारी हल्का के द्वारा आदेश की जानकारी दी तब अपीलान्ट के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हुए दिनांक 8.1.2021 को नकले प्राप्त की। इससे पूर्व उसको आदेश की किसी प्रकार से जानकारी नहीं हुई थी। ऐसे मे अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है जिसमें म्याद का बिन्दू माफ किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा वर्णित उक्त कथनों के आधार पर यह अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नामा0 संख्या 235 दिनांक 10.10.1974 ग्राम पंचायत तापू एवं नामा0 संख्या 325 विरासत दिनांक 20.02.2011 ग्राम पंचायत तापू के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस के द्वारा 37 साल बाद नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर हल्का पटवारी से दिनांक 04.04.2011 को नामा0 की नकल प्राप्त होने पर प्रथम बार नामा0 की जानकारी

होना प्रतिवेदित किया है जो विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार "Sufficient Cause" की श्रेणी में नहीं आते है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that antamounts to showing utter disregard to the legislature

साथ ही वर्ष 1974 में हुए नामान्तरकरण को लगभग 37 साल बाद नामा0 की अपील के जरिये अनुतोष चाहा जाना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे प्रकरण में अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक दावा, दस्तावेजात, गवाहों एवं पूर्ण पक्ष रखते हुए चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियाँ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर